झाबरमल — प्रकाशराम 68/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18-7-18	बुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस वकील उभयपक्षों की सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने पर आया योग्य अदालत मातहत में दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। न तो प्रतिवादी का जवाब दावा लिया जाना प्रमाणित है और ना ही विभाजन प्रस्ताव आने पर पक्षकारों से कोई आपत्ति प्राप्त किया गया है । विभाजन प्रस्ताव आते ही अंतिम डिक्री जारी कर दी। जिस में आदेशिका में यह भी कहीं दर्ज नहीं पक्षकार अथवा उनके अभिभाषक उपस्थित है अथवा नहीं अर्थात अदालत मातहत ने बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये आदेश पारित किया है । जिसको हम यथावत रखा जाना उचित नहीं मानते है । प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना ही उचित मानते हैं ।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-5-2016 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-8-2018 को उपस्थित होवें ।	
	निर्णय सुनाया गया ।	
	(हस्ताक्षर) 18/7/18	
	(भंवरलाल मेहरडा)	
	अपखण्ड अधिकारी एवं	

न्यायालय ... अधिकारी ... सीकर (stamp)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official